

विचार बिन्दु

घर का मोह कायरता का दूसरा नाम है। -अंजात

सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का मामला आखिर है क्या?

ग गत कुछ दिनों से सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का नाम खबू चर्चा में है। इंडियन नेशनल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिनों पूर्व एक प्रेस कॉर्डेस को सेबी (Stock Exchange Board of India) की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर गंभीर अरोप लगाया। यह प्रेस वार्ता कॉर्प्रेस की ओर से पब्लिक ड्राइर संबंधित की गई थी। इसके बाद दो-तीन और प्रेस वार्ताएं इस विषय पर की गई हैं।

इससे पहले कि हम माधवी पर लगे आरोपों के बारे में चर्चा करें, इनके बारे में कुछ जानकारी पाठकों को देना उपयुक्त होगा।

माधवी पुरी बुच की शिक्षा मूर्छे के फोर्ट कार्वेंट स्कूल डिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉर्वेंट और स्टीफेस कॉर्लेज में हुई, जहां से इहोंने गणित में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीबी की डिप्री प्राप्त की। यह कहा जा सकता है कि माधवी एक उच्च प्रतियोगिता साली महिला है। इहोंने 2007 से 2017 तक आई.सी.आई.सी.आई. में नौकरी की। इसके बाद बदू जुलाई 2018 से मार्च 2022 तक सेबी की निदेशक एवं मार्च 22 से वे सेबी के अध्यक्ष पर कार्रवाई कर रही हैं।

कॉर्प्रेस ने आरोप लगाया था कि आई.सी.आई. की नौकरी छोड़कर, सेबी की पूर्ण कालिक निदेशक बनने के बाद भी इहोंने वहां से लगभग 1 लाख रुपये बैंक के रूप में प्राप्त किए जो इनकी सेबी से आरोपी वेतन से कहीं अधिक है। आरोपों के संबंध में माधवी पुरी बुच द्वारा तो अब तक कुछ नहीं कहा गया है किंतु आई.सी.आई. ने एक स्पष्टीकरण की तरफ नोट जारी किया कि माधवी पुरी बुच को आईसीसी द्वारा किसी प्रकार का बोट 2017 के बाद नहीं दिया गया। उन्हें केवल सेबीनिवासी लाप के रूप में ई सोप (Employees' Stock Ownership Plan) दिए गए। इसके अंतर्गत आईसीसी आई. के शेयर प्राप्त हुए जब इनको बैचा गया तो उनसे प्राप्त राशि के टैक्स रिटर्न में दिखाया गया, जिसे कॉर्प्रेस के बाद देना उपयुक्त होगा।

सेबी, स्टॉक एक्सचेंज के नियमक के शेयर आरोपी वेतन के बाद देना उपयुक्त नहीं था। यह अनियमितता थी। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता, तो उनका सेबी में बने रहना संभव नहीं था। यह आश्वर्य की बात है कि इस विषय में अभी तक सरकार या सेबी के निदेशक मंडल में से भी किसी ने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।

सामान्यतया, कोई ऐसी संविधान में कोई काम कर रहा होता है, जिसे किसी कंपनी को कोई प्रकरण नियंत्रित करने का आवश्यक होता है, तो उस व्यक्ति का कंपनी में विसिनी प्रकार का कोई दिवान होता है। माधवी पुरी बुच के लिए यह स्पष्ट रूप से 'कॉर्पिलक्ट ऑफ इंटरेस्ट' का मामला था। इसके बारे में कोई सूचना उनके द्वारा सरकार को नहीं दी गई थी।

भारत कार्यकार के पूर्व वित सचिव सुधार पर्याप्त रूप नहीं कर पाता, तो उस पर बने रह सकती थी।

हिंडूबार्वा रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी का अंतर्गत कर्पोरेशन के नियमों पर सेबी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। यदि यह जानकारी उस समय प्राप्त होती, तो वह इस पद को ग्रहण नहीं कर पाता, तो उस पर बने रह सकती थी।

इस विषय में सेबी के नियमक मंडल या इचेंज किसी भी सदस्य के द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रेस नोट जारी नहीं किया जाना, आश्वर्यजनक है। कुछ वर्ष पूर्व जब आईसीसी आई. की पूर्व अध्यक्ष चंद्रा को चर के विरुद्ध कुछ अरोप लगे तो वे अपने पद से अलग हुई और बाहर के निदेशक मंडल ने उन पर एक जांच कर्मी नियुक्त की, जिसमें आरोपों को सही माना। परिणामस्वरूप, उन्हें न केवल अपना पद छोड़ना पड़ा बल्कि उनके ऊपर अपराधिक प्रकरण पूर्ण रूप से अलग हुआ।

आई.सी.आई. सी.आई. द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार माधवी पुरी बुच को ही आरोपित करने के बाबत वहां से आरोप लगाया गया है कि किसी भी काम करता है तो उससे प्राप्त राशि नोट के बाबत दिया गया।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के निदेशक मंडल में भी कोई काम कर रहा होता है, तो यह चाहिए कि नियमों के बाबत वेतन के बाबत दिया गया।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के निदेशक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

किसी निजी कंपनी से सरकारी संस्था में कार्यभार संभालने के पहले संबंधित व्यक्ति को आपने साथे शेयर अपने पास रखे। यहां स्वयं सेबी के नियमक मंडल को भी अधिकारियों नहीं संस्था के साथ-साथ सरकार को भी दिया गया है। यहां स्वयं सेबी के नियमक मंडल को भी अधिकारियों नहीं संस्था के साथ-साथ सरकार को भी दिया गया है।

सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है कि किसी भी कंपनी के द्वारा गलत काम किए जाने पर उसका अध्यक्ष करता है। यहां स्वयं सेबी के नियमक मंडल को भी अधिकारियों नहीं संस्था के साथ-साथ सरकार को भी दिया गया है।

सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है कि किसी भी कंपनी के द्वारा गलत काम किए जाने पर उसका अध्यक्ष करता है। यहां स्वयं सेबी के नियमक मंडल को भी अधिकारियों नहीं संस्था के साथ-साथ सरकार को भी दिया गया है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

होना तो यह चाहिए था कि आरोप लगते ही सेबी के नियमक मंडल नहीं कर सकती है।

एक जांच समिति गठित कर दी जाती और जो भी आरोप उन पर लगे हैं, उनके बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए थी।

ऐसा न किए जाने से यह धारणा पुष्ट होती है कि सरकार एवं सेबी के नियमक मंडल और स्वयं माधवी पुरी बुच के पास छोड़ा जाए तो स

